120

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था1/नि०1–149/2014/ 190 /पटना, दिनांक–25.05.17

कार्यालय आदेश

श्री किशोर कुमार दास, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फारबीसगंज, अररिया सम्प्रति निलंबित कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास को ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–170481 दिनांक–25.12.2013 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–31 ज्ञापांक–261 दिनांक–10.03.2015 द्वारा निलंबित किया गया एवं संलग्न आरोप पत्र के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत निदेशालय के का०आ०सं०–32 ज्ञापांक–262 दिनांक–10.03.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. जिला पदाधिकारी के पत्रांक–291 दिनांक–10.02.2016 के साथ संलग्न संचालन पदाधिकारी–सह–स्थापना उप समाहर्त्ता अररिया ने अपने पत्रांक–104 दिनांक – 06.02.2016 द्वारा श्री दास के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में श्री दास के विरूद्ध लगाये गये आरोपों में से आरोप संख्या–1 आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया आरोप संख्या–2 प्रमाणित नहीं पाया गया।

4. आरोप संख्या– 1 प्रमाणित पाये जाने पर श्री दास से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

5. श्री दास द्वारा अपने आवेदन दिनांक–08.03.2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

6. संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या–1 में अपना मंतव्य दिया है कि " आरोपी पदाधिकारी श्री दास को अपने उच्चाधिकारी को भेजे जाने वाले पत्र को पूर्ण रूप से पढ़ व समझ कर हस्ताक्षर करना चाहिए था, किन्तु उन्होनें ऐसा नहीं किया, फलतः जिला पदाधिकारी, अररिया को सम्बोधित पत्रांक–4423 दिनांक–26.10.2013 में वर्ष 1995–96 में मिट्टी भराई का कार्य ग्राम पंचायत की योजना से कराया गया है, को " <u>सत्य नहीं</u>" टंकित होने के बावजूद हस्ताक्षर कर दिया, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई।"

7. श्री दास के विरूद्ध लगाये गये आरोप/संचालन पदाधिकारी का मंतव्य/आरोप कर्मी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोंपरांत पाया गया कि पत्रांक–4423/दिनांक–26.10.2013 में अंकित "सत्य नहीं" को केवल टंकन भूल नहीं माना जा सकता है। सरकार द्वारा गठित फारबीसगंज गोलीकाण्ड न्यायिक जाँच आयोग जैसे संवैधानिक संस्था के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले प्रतिवेदन में गलत सूचना उपलब्ध कराया गया जिसे आयोग को भेजी गयी। इस प्रकार श्री दास के स्तर से एक संवैधानिक संस्था को मिथ्या कारण प्रतिवेदित किया गया जिसके लिए श्री दास जबावदेह एवं उत्तरदायी हैं।

8. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर श्री किशोर कुमार दास निलंबित कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास को संचयी प्रभाव के बिना दो वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड देते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह०/–
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापांक– स्था1/नि०1 -149,/2014/ /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना

2. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना
3. जिला पदाधिकारी, अररिया/रोहतास/मधुबनी
4. कोषागार पदाधिकारी,रोहतास/मधुबनी
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/मधुबनी
6. उप निदेशक सांख्यिकी, रोहतास/मधुबनी/
7. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खुटौना जिला–मधुबनी
8. प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना प्रशाखा–1, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
9. किशोर कुमार दास, निलंबित कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
निदेशक

ज्ञापांक– स्था1/नि०1–149/2014/ 1028 /पटना, दिनांक– 25/05/17

प्रतिलिपिः–प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/5/17
निदेशक